

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... सुरजराज बनाम जगनाराज
 किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं० 1011 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा/यज्ञ
20-11-18	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। स्थगन आदेश के उपरान्त 38 तारिख पेशीयां एवं लगभग 1 साल 7 माह का समय अप्रार्थीगण की तलबी में व्यतीत हो गया। परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं हुआ है। अतः आदेश 39 नियम 3क की अनुपालना में इस आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जाये।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.04.2017 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है जिसके उपरान्त तलबी में 38 तारिख पेशीयां दी गई है एवं 1 साल 7 माह का समय तलबी में लगा है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3क सी.पी.सी. की पालनार्थ प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 38/2017 उनवान जगनाराज बनाम सुरजराज आदि बाबत भूमि खसरा नम्बर 205 ग्राम लाडपुर पंचायत में धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 26.04.2017 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उनके न्यायालय में यह आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2018 को उपस्थित हों। अहलमद को निर्देशित किया है कि 14.12.2018 से पूर्व इस आदेश की सत्यप्रति पत्र के साथ विचारण न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाये।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 20.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (कृ. शा. व. नं. 11/18) एवं पदेन प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर </p>



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official